आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

20/3/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-10/2015-16

कृष्णदेव मुण्डा,.....आवेदक

बनाम्

(1) नौशाद आलम
(2) जशीम अंसारी .....विपक्षीगण

आदेश

आवेदक कृष्णदेव मुण्डा पिता–स्व० जीतवाहन मुण्डा, निवास ग्राम–नेवरी थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन विपक्षीगण (1) नौशाद आलम, पिता–अजीज अंसारी (2) जशीम अंसारी पिता–स्व0 जमाल अंसारी, निवास ग्राम–नेवरी, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
नेवरी	45	192	525	34 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि वर्णित भूमि वकास्त भूईहरी खतियान है, लगान पानेवाले का नाम शुरजु मुण्डा वगै० दर्ज है। इनका खेवट सं०–10/05 बना है। इसमें शुरजु मुण्डा वो लालजीव मुण्डा पेशरान वोहुरन मुण्डा नाम दर्ज है। आवेदक अपने वंशावली में शुरजु मुण्डा वो लालजीव मुण्डा (नावल्द), एवं बाली मुण्डा को दर्शाए हैं। शुरजु मुण्डा अपने पीछे चरकु मुण्डा को छोड़ गये। चरकु मुण्डा अपने पीछे जुगनू मुण्डा एवं अघनु मुण्डा को छोड़ गये। बाली मुण्डा अपने पीछे जीतवाहन मुण्डा एवं बरतु मुण्डा को छोड़ गये।

20/3/25

कृ०पृ०उल्टे

20/3/25 जीतवाहन मुण्डा अपने पीछे तीन पुत्र कृष्णदेव मुण्डा (आवेदक), महावीर मुण्डा एवं साहवीर मुण्डा को छोड़ गये। बरतु मुण्डा अपने पीछे दो पुत्र महादेव मुण्डा एवं नरेश मुण्डा को छोड़ गये। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति, खेवट सं०–10/5 की छायाप्रति दाखिल किया गया।

विपक्षीगण संख्या–01 की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया, जिसमें कहते हैं कि यह वाद चलने योग्य नहीं है। यह वाद Res-Judicata के अंतर्गत है। यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। वर्णित भूमि पर स्कूल चल रहा है। वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। इससे पूर्व विशेष विनियमन पदाधिकारी श्री ओ० पी० वर्मा के न्यायालय में एक एस०ए०आर० वाद चला था, जिसका एस०ए०आर० वाद सं०–297/1988–89 है, इसमें आवेदक के पिता–जीतवाहन मुण्डा बनाम् तहारत अंसारी थे। दिनांक–31.10.1990 को 1000 रूपया प्रति डिसमिल की दर से क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित हुआ। इसी के अंतर्गत 17 डिसमिल का मूल्य 17,000 (सत्तरह हजार) रूपया क्षतिपूर्ति राशि का बैंक के माध्यम से भुगतान के पश्चात् विनियमित भी कर दिया गया। विपक्षीगण दखल–कब्जा के साथ घर–मकान बनाकर रहने लगे। तहारत अंसारी ने वर्णित भूमि नौशाद आलम को दिनांक–17.02.1995 ई० में बक्शीशनामा कर दिया। वर्णित भूमि पर 1965 से ही पक्का घर–मकान बना कर विपक्षीगण सं०–01 निवास कर रहें हैं। चूँकि यह मामला Res-Judicata के अंतर्गत आता है, इसलिए यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाए। विपक्षीगण की ओर से एस०ए०आर० वाद सं०–297/1988–89 की आदेश की छायाप्रति दाखिल की गई है।

विपक्षीगण सं०–02 जशीम अंसारी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया है, इसमें कहते हैं कि खतियान में लगान पानेवाले का नाम गुरजू मुण्डा दर्ज है। वर्णित भूमि पर पूर्व में एक एस०ए०आर० वाद हो

20/3/25

कृ०पृ०उल्टे

20/3/25

चुका है। जिसमें जीतवाहन बनाम जशीम है। इससे पूर्व विशेष विनियमन पदाधिकारी श्री ओ० पी० वर्मा के न्यायालय में एक एस०ए०आर० वाद चला था, जिसका एस०ए०आर० वाद सं०–94/1983–84 है। इस वाद में 5000 (पाँच हजार) रूपया प्रति डिसमिल की दर से क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित हुआ। इसके उपरांत क्षतिपूर्ति राशि 8.5 डिसमिल का 42,500 (बयालीस हजार पाँच सौ) रूपया का भुगतान कर विनियमित किया गया है। इसलिए यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, तथा यह वाद Res- Judicata के अंतर्गत आता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाए। विपक्षीगण की ओर से एस०ए०आर० वाद सं०–94/1983–84 की आदेश की छायाप्रति दाखिल की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया गया है, इसमें कहते हैं कि यह वाद Maintainable है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत आवेदक की जमीन को वापस होना चाहिए, चूँकि विपक्षीगण का फर्जी दस्तावेज है। आगे कहते हैं कि पूर्व में जो एस०ए०आर० वाद सं०–297/1988–89 और एस०ए०आर० वाद सं०–94/1983–84 में जो क्षतिपूर्ति राशि भुगतान किया गया, उसमें जीतवाहन मुण्डा को 68 डिसमिल में से सिर्फ 17 (सत्रह) डिसमिल का ही हक था, इसलिए आवेदक को जमीन वापस होना चाहिए। इसके बाद विपक्षीगण ने अभी तक अपना दाखिल–खारिज नहीं करवाया है। विपक्षीगण ने जो अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि वह सत्य नहीं है। वर्णित भूमि वकास्त भूईहरी है और इसका खेवट सं०–10/05 है। खेवटदार लालजीव मुण्डा अपने पीछे शुरजु मुण्डा, बाली मुण्डा को छोड़ गये, तत्पश्चात् प्रत्येक को 34 डिसमिल भूमि मिला। बाली मुण्डा अपने पीछे जीतवाहन मुण्डा एवं बरतु मुण्डा को छोड़ गये। जीतवाहन मुण्डा एवं बरतु मुण्डा के बीच 34 डिसमिल का बँटवारा हुआ,

20/3/25

कृ०पृ०उल्टे

20/3/25

जिसमें प्रत्येक को 17—17 डिसमिल भूमि प्राप्त हुआ। जीतवाहन मुण्डा अपने पीछे तीन पुत्र कृष्णदेव मुण्डा (आवेदक), महावीर मुण्डा एवं साहवीर मुण्डा को छोड़ गये। आवेदक अनुसूचित जनजाति के हैं, इसलिए यह भूमि आवेदक को वापस होना चाहिए। यह वाद Maintainable है।

विपक्षीगण संख्या—01 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। इसमें कहते हैं कि वर्णित भूमि पर आवेदक ने जो वाद लाया है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। यह वाद Maintainable नहीं है, साथ ही कालबाधित तथा यह वाद Res-Judicata के अंतर्गत भी आता है। वर्णित भूमि पर पूर्व में एस०ए०आर० वाद चल चुका है और क्षतिपूर्ति राशि जीतवाहन पाहन को भुगतान किया जा चुका है जो रैयत के वंशज हैं तथा इनके हिस्से की जमीन है। इस वाद में आवेदक कृष्णदेव मुण्डा का वर्णित भूमि पर दावा गलत है। अंचल अधिकारी, काँके का पत्रांक—1034 दिनांकः—26.08.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इसमें विपक्षी का इस्लामिक स्कूल चल रहा है तथा इस पर पक्का मकान बना हुआ है। आगे कहते हैं कि यह भूमि कृषि योग्य नहीं है। इसलिए यह वाद पोषणीय नहीं है। पूर्व में विशेष विनियमन पदाधिकारी, ओ०पी० वर्मा, ने दिनांकः—31.10.1990 को एस०ए०आर० वाद संख्या—297/1988—89 में क्षतिपूर्ती राशि देने का आदेश पारित किये थे। तत्पश्चात क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान करने के बाद वर्णित भूमि को विनियमित किया गया है। विपक्षी सख्या—01 को बक्शीशनामा से जमीन प्राप्त है। इसलिए इस वाद में भू—वापसी का केस नहीं बनता है। यह वाद कालबाधित है तथा Res-Judicata के अन्तर्गत आता है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज करने योग्य है।

विपक्षीगण संख्या—02 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया एवं साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। इसमें कहते हैं कि सन्—1939 ई० में सादा हुकुमनामा से 100/ (एक सौ) रूपया देकर

20/3/25

कृ०पृ०उल्टे

20/3/25

जमालुद्दीन अंसारी वर्णित भूमि को प्राप्त किये थे। इसके बाद से दखल कब्जा के साथ निवास कर रहे थे। आवेदक ने वर्णित भूमि पर गलत दावा किया है, कि पूर्व में विशेष विनियमन पदाधिकारी, श्री ओ०पी० वर्मा के न्यायालय में एस०ए०आर० वाद चला था। जिसका एस०ए०आर वाद संख्या— 94/1983—84 है। यह वाद जीतवाहन बनाम् जशीम था। इसमें 5000 (पाँच हजार) रूपये प्रति डिसमिल की दर से क्षतिपूर्ती राशि निर्धारित किया गया था। इसी के आलोक में क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान किया गया, तथा वर्णित भूमि को विनियमित किया गया है। यह वाद कालबाधित तथा Res-Judicata के अन्तर्गत आता है, इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाय।

इस प्रकार दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने तथा कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वर्णित भूमि पर पूर्व में क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान किया गया है। तथा वर्णित भूमि विनियमित भी किया गया है। यह वाद Res-judicata के अन्तर्गत है, तथा कालबाधित है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज कर इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

20/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.08.07 18:08:16 +05:30
Location: 192.168.140.39